

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 08/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

वनाम

श्री संगम नारंग पुत्र श्री राजपाल नारंग जाति अरोड़ा निवासी 9 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर, जिला  
श्रीगंगानगर।

मैसर्स :- राजपाल नारंग पुत्र मिल्कराज नारंग, गीता इन्डस्ट्रीज, जिला श्रीगंगानगर।

विक्रेता एवं मालिक

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(ग)खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 28.02.2022

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता  
दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में  
प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है।  
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के  
आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त  
स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.11.2020 को दोपहर बाद 11.00  
ए.एम. पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री संगम नारंग पुत्र श्री राजपाल नारंग जाति अरोड़ा निवासी 9 जे  
ब्लॉक, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर। विक्रेता फर्म मै. गीता इन्डस्ट्रीज, जी-1/112 सी,  
उद्योग विहार, रिको, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुनान/संरथान पर  
मालिक संगम नारंग पुत्र श्री राजपाल नारंग जाति अरोड़ा निवासी 9 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर,  
जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। विक्रेता मैसर्स मै. गीता इन्डस्ट्रीज, जी-1/112 सी, उद्योग  
विहार, रिको, श्रीगंगानगर कारोबार कर रही था जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को  
अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने  
प्राणीकरण प्रमाण पत्र होना बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दुकान में खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर**  
**गोपिका ब्राण्ड** 500-500 ग्राम की 140 पोली पैक, गोपिका ब्राण्ड की खाद्य पदार्थ के रूप में  
विक्रय कर रही था। शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5 ए की  
प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर करवा के विक्रेता के हस्ताक्षर करवा  
के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली  
जो सलंगन है। तत्पश्चात मिर्ची पाउडर, गोपिका ब्राण्ड के कुल 4 पैकिट खाद्य पदार्थ लिये

  
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



जिसके पेटे 560/- रुपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड के कुल 4 पैकेट खाद्य पदार्थ नमूने लिये। जिसको मूल ही चार पैकेटों, प्रत्येक को लेबल तैयार कर नमूना पर लेबल पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1094 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1094 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1094 मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को स्वयं द्वारा दिनांक 05.11.2020 को नवीन बेदी कर्मचारी के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर दिनांक 04.11.2020 रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/216/एक्ट/2020/217 दिनांक 13.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-1094 मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री संगम नारंग पुत्र श्री राजपाल नारंग जाति अरोड़ा निवासी 9 जे ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 17.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के-1094 लेते समय फार्म नम्बर 5ए में Best Before, Nutritional information Mfg. date, Weight लाईसेन्स नम्बर विक्रेता आदि का विवरण न तो फार्म नम्बर 5 ए में दिया गया ओर न ही फर्द रिपोर्ट में विवरण दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त हस्तगत वाद में (FSO) भी द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से FSSA के नियमानुसार नहीं किया गया है।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के-1094 लेते समय कार्यवाही के दौरान समस्त दस्तावेजों में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया है। दोनो गवाह विभाग के अपने कर्मचारी/अधिकारी रखे गये है जबकि विधिनुसार कम से कम एक



  
 प्रशांत, जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
 श्रीगंगानगर

स्वतंत्र गवाह लिया जाना आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी (FSO) द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से के नियमानुसार नहीं किया गया है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के-1094 लेते समय जो खरीद रसीद/ कॅश मीमो की प्रति प्रस्तुत की है वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा मुद्रित व हस्तलिखित रसीद है एवं उक्त मुद्रित कॅश मीमो/विक्रय बिल में अंकित लेखन/भाषा किसी कॅश मीमों की नहीं है यह आवेदक विभाग की स्वयं की मुद्रित कॅश मीमों है जबकि FBO द्वारा अपनी फर्म के नाम से मुद्रित बिल/कॅश मीमो अपनी स्वयं की हस्तलिखित जारी की जाती है कोई भी FBO अपनी फर्म के बिल/कॅश मीमो को ग्राहक को ग्राहक की लेखनी में जारी नहीं करने देता है यह बिल कारोबार कर्ता द्वारा ही हस्तलिखित किया जाता है।
  4. जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में Contravention of Regulation No.2.2.2.2(c) .2.4.4.12, of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 के अन्तर्गत दिया गया है। यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या L.S./216/Act/2020/217 दिनांक 13.11.2020 में not more then 2% Edible Refined oil लिखा है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो नमूना (पैकिंग सहित) संख्या के-1094 जन विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया था उसका फार्म संख्या 5 ए फर्द रिपोर्ट, व फार्म संख्या 6 मेमोरेण्डम में कही भी Nutritional information नहीं लिखा है।
  5. Section 2.1.3 Food Safety Officer (FSO) के 4(G) में लिखा है कि To recomanded DO to issue the improvement Noticej to the FBO when ever necessary. इस नियम की भी FSO द्वारा पालना नहीं की गई है।
  6. चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो कि नियम विरुद्ध है।
  7. FSS Act 2006 के Secation 32 की पालना भी नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिस ब्रान्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है "नहीं" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। देश के अन्य प्रान्तों में भी उक्त नोटिस जारी कर सुधार हेतु मौका दिया जाता है।
- खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अपना विधिक दायित्व समझते हुए उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त उपरान्त धारा 32 की पालना में बिना देरी किये व इम्प्रूवेमेन्ट नोटिस/सुधार सूचना के प्राप्त हुए अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए जन विश्लेषक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपनी वस्तु के पैकिंग मेटिरियल में वांछित सुधार कर लिया गया तथा इसकी लिखित सूचना अभिहित अधिकारी को जरिये पंजीकृत डाक मय ए डी प्रेषित कर दी गई थी जो कि श्रीमान अभिहित अधिकारी को प्राप्त हो चुकी है जिसका कोई जवाब मिन जबावदाता को प्राप्त नहीं हुआ है। विधि के उक्त धारा जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई है



  
जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है अपितु मिन जवाबदाता के विरुद्ध उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

9. माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन संख्या 24/2017 के पारित अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरुद्ध एफबीओ खारिज किया गया है।
10. खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।
11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255.2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शारित को क्वेस किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या के-1094 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा -3 (1)(Zf)(c)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड का सैम्पल के-1094 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/216/एक्ट/2020/217 दिनांक 13.11.2020 द्वारा सब (Misbranded Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शारित का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के-1094 लेते समय फार्म नम्बर 5ए में Best Before, Nutritional information Mfg. date, Weight लाईसेन्स नम्बर विक्रेता आदि का विवरण न तो फार्म नम्बर 5 ए में दिया गया ओर न ही फर्द रिपोर्ट में विवरण दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त हस्तगत वाद में (FSO) भी द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से FSSA के नियमानुसार नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के-1094 लेते समय कार्यवाही के दौरान समस्त दस्तावेजों में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं लिया गया है। दोनो गवाह विभाग के अपने कर्मचारी/अधिकारी रखे गये है जबकि विधिनुसार कम से कम एक स्वतंत्र गवाह लिया जाना आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी (FSO) द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से के नियमानुसार नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के-1094 लेते समय जो खरीद रसीद/ कैंश मीमो की प्रति प्रस्तुत की है वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा मुद्रित व हस्तलिखित रसीद है एवम उक्त मुद्रित कैंश मीमो/विक्रय बिल में अंकित लेखन/भाषा किसी कैंश मीमों की नहीं है यह आवेदक विभाग की स्वयं की मुद्रित कैंश मीमों है जबकि FBO द्वारा अपनी फर्म के नाम से मुद्रित बिल/कैंश मीमो अपनी स्वयं की हस्तलिखित जारी की जाती है कोई भी FBO अपनी फर्म के बिल/कैंश मीमो को ग्राहक को ग्राहक की लेखनी में जारी नहीं करने देता है यह बिल कारोबार कर्ता द्वारा ही हस्तलिखित किया जाता है। जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में



  
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

Contravention of Regulation No.2.2.2.2(c) ,2.4.4.12, of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 के अन्तर्गत दिया गया है। यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या L.S./216/Act/2020/217 दिनांक 13.11.2020 में not more than 2% Edible Refined oil लिखा है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो नमूना (पैकिंग सहित) संख्या के-1094 जन विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया था उसका फार्म संख्या 5 ए फर्द रिपोर्ट, व फार्म संख्या 6 मेमोरैंडम में कहीं भी Nutritional information नहीं लिखा है। Section 2.1.3 Food Safety Officer (FSO) के 4(G) में लिखा है कि To recomanded DO to issue the improvement Noticej to the FBO when ever necessary. इस नियम की भी FSO द्वारा पालना नहीं की गई है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो कि नियम विरुद्ध है। FSS Act 2006 के Secation 32 की पालना भी नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिस ब्रान्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है "नहीं" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। देश के अन्य प्रान्तों में भी उक्त नोटिस जारी कर सुधार हेतु मौका दिया जाता है। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अपना विधिक दायित्व समझते हुए उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त उपरान्त धारा 32 की पालना में विना देरी किये व इम्प्रूवमेन्ट नोटिस/सुधार सूचना के प्राप्त हुए अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए जन विश्लेषक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपनी वस्तु के पैकिंग मेटिरियल में वांछित सुधार कर लिया गया तथा इसकी लिखित सूचना अभिहित अधिकारी को जरिये पंजीकृत डाक मय ए डी प्रेषित कर दी गई थी जो कि श्रीमान अभिहित अधिकारी को प्राप्त हो चुकी है जिसका कोई जवाब मिन जवावदाता को प्राप्त नहीं हुआ है। विधि के उक्त धारा जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है अपितु मिन जवावदाता के विरुद्ध उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण वैअनवानी सरकार वनाम कुलदीप आवेदन संख्या 24/2017 के पारित अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरुद्ध एफवीओ खारिज किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255,2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या के-1094 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा -3 (1)(Zf)(c)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किया जावें।




  
 अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
 अजमेर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 13.11.2020 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा (ii) एफएसएस एक्ट 2006 स्ट्स 2011 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त संगम नारंग पुत्र श्री राजपाल नारंग विक्रेता एवं मालिक -पर MISBRANDED के तहत मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा (ii) के तहत 30,000/- (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए नियमानुसार निस्तारण करें। अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में मिर्ची पाउडर गोपिका ब्राण्ड के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(भवानी सिंह पंवार)  
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशाद)  
श्रीगंगानगर